रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235120
CG-DL-E-13042022-235120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
No. 195]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

(2022 की सं 3)

फा.सं. ए-12015/01/2022-एचआर/सीसीआई.— भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 17 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उप धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009 में निम्नलिखित और संसोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है)[1] में:-

[1] मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 15 मई, 2009 में अधिसूचना सं. आर-40007/6/संब.-विशेषज्ञ/अधि./04/सीसीआई तारीख 15.05.2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(I) ''विशेषज्ञ या वृत्तिक, जिसके अंतर्गत अनुसंधान अध्येता भी हैं''[2] शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, ''विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक'' शब्द रखे जाएंगे और व्याकरण के नियमों द्वारा यथा अपेक्षित परिणामिक संशोधन भी किये जाएंगे।

(II) विनियम 5 की अनुसूची I में – संशोधन और परिवर्धन:

(क) 'विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक' स्तंभ के नीचे ''अर्थशास्त्री'' और ''विधि'' के सामने 'अर्हता' और 'अनुभव' से संबंधित स्तभों की प्रवृष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रवृष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का वर्ग	**अर्हताएं**	**अनुभव**
अर्थशास्त्री	**अनिवार्य –** किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री। वांछनीय – (i) भारत के किसी विख्यात विश्वविद्यालय या संस्था से या भारत में सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र, प्रतिस्पर्धा नीति के क्षेत्र में या निकट संबंधी क्षेत्रों में डॉक्टर डिग्री (ii) निरंतर उच्च शैक्षिक परिणाम (iii) अच्छा विश्लेषणात्मक कौशल (iv) सूक्ष्म-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञता	सूक्ष्म अर्थशास्त्र समस्याओं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, परियोजना मूल्यांकन और विश्लेषण, औद्यागिक संगठन, औद्योगिक अर्थशास्त्र या परिमाणात्मक अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धा निर्धारण सहित आर्थिक विनियमन सम्मिलित है, के क्षेत्र में किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन या विनियामक प्राधिकरणों या क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय/बहुपार्श्विक संगठनों में अनुभव **या,** विश्वविद्यालयों/विख्यात अनुसंधान संस्थाओं में सूक्ष्म अर्थशास्त्र/औद्योगिक अर्थशास्त्र/औद्योगिक संगठन/अंतरराष्ट्रीय व्यापार/अर्थमिति/गणितीय अर्थशास्त्र/परिणामात्मक अर्थशास्त्र पद्धतियां या निकट संबंधी विषयों में प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में अनुभव।
विधि	**अनिवार्य –** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और/या भारत या विदेश के किसी संस्थान से एलएलबी की डिग्री या समतुल्य जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के निबंधनानुसार भारत की किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हो। **वांछनीय –** प्रतिस्पर्धा विधि या विनियामक विधियों या बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विधियों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों या निगमित विधि या वित्तीय विधि इत्यादि में विशेषज्ञता।	उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, शासकीय या विनियामक प्राधिकरण या किसी अधिकरण या किसी अन्य समान मंच में न्यायिक या विधिक कार्य में अनुभव या, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/भारतीय या किसी विदेशी वृत्तिक संस्था में विधि का प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर, प्रतिस्पर्धा विधि में अध्यापन की विशेषज्ञता के साथ या, निगमित सेक्टर में विधिक प्रबंधक या उच्चतर पद, जिसके पास प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलयन और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव हो।

[2] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 21 नवंबर, 2014 में अधिसूचना सं. ए-12015/1/2014-एचआर/सीसीआई, तारीख 21.09.2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

(ख) निम्नलिखित 'विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का वर्ग' उनकी 'अर्हताएं' और 'अनुभव' सहित निम्नानुसार और जोड़ा जाएगा:-

विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का वर्ग	अर्हताएं	अनुभव
वित्तीय विश्लेषण	**अनिवार्य –** वाणिज्यि में स्नातकोत्तर की डिग्री या लेखांकन एवं वित्त के साथ कारबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री या समतुल्य **या** चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के निबंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट **या** लागत संर्कम अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के निबंधनानुसार लागत संकर्म लेखाकार **या** कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के निबंधनानुसार कंपनी सचिव। **वांछनीय –** (i) निगमित अभिशासन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम अर्हता जिसमें प्रतिस्पर्धा विधि एक विषय हो।	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में कारबार प्रबंधक या वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया हो। **या** बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में कार्य किया हो। **या** बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में लागत संकर्म लेखाकार के रूप में कार्य किया हो। **या** बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में कंपनी सचिव के रूप में कार्य किया हो। **वांछनीय –** प्रतिस्पर्धा विधि के अधीन अर्जनों, विलयनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव।
फॉरेंसिक लेखापरीक्षा	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के निबंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट **या** लागत संर्कम अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के निबंधनानुसार लागत संकर्म लेखाकार **वांछनीय –** (i) निगमित अभिशासन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम अर्हता जिसमें प्रतिस्पर्धा विधि एक विषय हो।	बड़ी फर्मों में लेखापरीक्षा करने या आय कर विभाग या किसी अन्य अन्वेषण विभाग में विख्यात चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म या व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउन्टेंट के भाग के रूप में फारेंसिक लेखापरीक्षा/विशेष लेखापरीक्षा का निष्पादन करने का अनुभव हो।

(III) विनियमन 5 में उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उप विनियमन (2) :- उप विनियम (1) के अधीन रहते हुए और संबंधित अनुशासनों में अर्हता, विशेषज्ञता और अनुभव पर निर्भर करते हुए विशेषज्ञों और युवा वृत्तिकों को अनुसूची II में दिए गए अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

विनियमन 5 की अनुसूची II में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का वर्ग	**अहर्तापश्च अनुभव वर्षों में**
युवा वृत्तिक ग्रेड I	तीन वर्ष तक
युवा वृत्तिक ग्रेड II	न्यूनतम तीन वर्ष
विशेषज्ञ ग्रेड I	न्यूनतम पांच वर्ष
विशेषज्ञ ग्रेड II	न्यूनतम दस वर्ष
विशेषज्ञ ग्रेड III	न्यूनतम पन्द्रह् वर्ष

(IV) विनियमन 6 की अनुसूची III में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक का ग्रेड	**एकमुश्त मासिक परिश्रमिक**	**विज्ञापन की तारीख को आयु सीमा**
युवा वृत्तिक - I	60,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	तीस वर्ष तक
युवा वृत्तिक - II	80,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	पैंतीस वर्ष तक
विशेषज्ञ - I	1,05,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	चालीस वर्ष तक
विशेषज्ञ - II	1,30,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	--
विशेषज्ञ - III	1,55,000 रुपये नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	--

(V) विनियम 8 के उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

आयोग विशेषज्ञ और युवा वृत्तिकों को साधरणयता संविदा के आधार पर अन्यून एक वर्ष और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए नियोजित करेगा। 3 वर्ष से अधिक अवधि के मामले में, आयोग, विशेष मामलों में, नियोजन की अवधि अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ा सकेगा।

(VI) विनियम 8 क़े उप विनियम (9) का परंतुक का लोप किया जाएगा।

(VII) विनियम 9 में, उप विनियम (4) निम्नानुसार और जोड़ा जाएगा:-

उप विनियम (4) – गोपनीयता और गुप्तता:

(i) विशेषज्ञ और युवा वृत्तिक भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होंगे और कोई सूचना/डाटा जो वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में विशेषज्ञ या युवा वृत्तिक होने के आधार पर एकत्र करे, कोई ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में विशेषज्ञ या युवा वृत्तिक के रूप में उनके नियोजन की अवधि के दौरान या उसके उपरांत इस संबंध में प्राधिकृत नहीं है।

(ii) चयनित अभ्यर्थी ऐसे 2 अनुमोदकों से सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा जो उन्हें जानते हों।

(iii) अभ्यर्थी ऐसा स्व-वचनबंध प्रदान करेगा जो यह दर्शाने वाला हो कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक वाद लंबित नहीं है।

ज्योति जिंदगर, सचिव (प्रभारी)
[विज्ञापन-III/4/असा./25/2022-23]

COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

(No. 3 of 2022)

F.No. A-12015/01/2022-HR/CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 64, read with sub-section (3) of Section 17 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to amend the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009, namely:-

1. Short title and commencement –
(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations)[3].-

(I) for the words "Experts or Professionals including Research Associates"[4] wherever they occur, the words "Experts and Young Professionals" shall be substituted and such other consequential amendments, as the rules of grammar may require shall also be made.

(II) In Schedule I of Regulation 5 – Amendment & Addition:

(a) For the entries in columns relating to 'Qualifications' and 'Experience', against the "Economist" and "Law" under the column 'Class of Expert and Young Professional', the following entries shall be substituted, namely:-

Class of Expert and Young Professional	**Qualifications**	**Experience**
Economist	**Essential** – Post Graduate degree in Economics from either a recognized University in India or abroad. **Desirable** – (i) A doctoral degree, from reputed University/Institution in India or from a University or Institution duly recognized in India, in Economics in the area of competition policy or closely related areas. (ii) Consistent high academic performance. (iii) Good Analytical skills. (iv) Specialization in the area of Micro-Economics.	Experience in the field of micro economic problems, including International trade, investment, project evaluation and appraisal, industrial organization, Industrial economics or economic regulation including competition assessment, using quantitative economic techniques in Government, public sector, private sector, Non-Governmental organizations or regulatory authorities or regional/international/multilateral organizations(s) Or, In universities/ reputed research institutions, as Professor/Reader/ Lecturer of Microeconomics/ Industrial Economics/Industrial Organizations/ International trade/ Econometrics/ Mathematical Economics/ Quantitative Economics methods/Quantitative Economic methods or

[3] The Principal Regulations were published vide Notification No R-40007/ 6/Reg-Expert/Noti/04-CCI dated 15.05.2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 15th May, 2009.
[4] Amended vide Notification No A-12015/1/2014-HR/CCI dated 21.11.2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Dated 21st November, 2014.

		closely related subjects.
Law	**Essential** – (i) Degree of LL.B or equivalent from a recognized University and/or Institute in India or abroad, recognized by the Bar Council of India. (ii) Qualified to be registered as an advocate in any State Bar Council in India in terms of Advocates Act, 1961. **Desirable** – Specialization in competition law or regulatory laws or laws relating to Intellectual Property Rights or International Trade Laws or Corporate Law or Financial Law etc.	Experience in judicial or legal work, in Supreme Court, High Court or any other Court, Government or a Regulatory Authority or a Tribunal or any similar forum; **Or**, Professor/Reader/Lecturer of Law of any recognized University/Professional Institute of India or abroad with specialization in teaching competition law; **Or**, Legal Manager or above in the Corporate sector having experience or handling acquisitions, mergers and amalgamations etc., under competition law.

(b) Following "Class of Expert and Young Professional" along with their 'Qualifications' and 'Experience' shall be added as below:-

Class of Expert and Young Professional	**Qualifications**	**Experience**
Financial Analysis	**Essential-** Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration with Accounting and Finance or Equivalent **Or** Chartered Accountant in terms of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949). **Or** Cost and Works Accountant in terms of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959). **Or** Company Secretary in terms of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980). **Desirable-** (i)Post qualification course in corporate governance, International Trade Laws and WTO with competition law as a subject.	Must have worked as a Business Manager or Financial Manager in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings **Or** Must have worked as Chartered Accountant in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings **Or** Must have worked as Cost and Works Accountant in reputed organization handling business ventures of large enterprises or undertakings **Or** Must have worked as Company Secretary in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings **Desirable** – Experience of handling acquisitions, mergers & amalgamations etc. under competition law.
Forensic Audit	Chartered Accountant in terms of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949). **Or** Cost and Works Accountant in terms of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959). **Desirable-** (i)Post qualification course in corporate governance, international Trade Laws and WTO with competition law as a subject.	Must have the experience of Auditing large firms or performing Forensic Audit/Special Audit for Income Tax Department or any other investigating Department as a part of a reputed Chartered Accountant Firm or a practicing CA.

(III) In regulation 5, for sub-regulation (2) the following shall be substituted, namely:-

Sub regulation (2):- Subject to sub-regulation (1) and depending upon the qualifications, specialization and experience in respective disciplines, the experts and young professionals shall be categorized as per Schedule II.

Schedule II of Regulation 5 shall be substituted as below:

Category of Expert and Young Professional	**Preferred Experience in Years**
Young Professional Grade I	Up to Three years
Young Professional Grade II	Minimum Three years
Expert Grade I	Minimum Five years
Expert Grade II	Minimum Ten years
Expert Grade III	Minimum Fifteen years

(IV) In schedule III of regulation 6, the following shall be substituted, namely:-

Grade of Expert & Young Professional	**Lump-sum monthly remuneration**	**Age Limit as on the date of advertisement**
Young Professional -I	₹ 60,000 with 10% increase on completion of each year	Up to 30 Years
Young Professional -II	₹ 80,000 with 10% increase on completion of each year	Up to 35 Years
Expert - I	₹ 1,05,000 with 10%increase on completion of each year	Up to 40 Years
Expert - II	₹ 1,30,000 with 10% increase on completion of each year	--
Expert - III	₹ 1,55,000 with 10% increase on completion of each year	--

(V) In regulation 8, for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely:-

Sub-regulation (1)- The experts and young professionals shall ordinarily be engaged by the Commission on contractual basis for not less than one year and up to three years. Beyond the 3 years term, the Commission, on special cases, may extend the term of engagement maximum upto 2 years.

(VI) Proviso of sub-regulation (9) of Regulation 8– **Shall be Omitted.**

(VII) In regulation 9, sub-regulation (4) shall be added as below:-

Sub-regulation (4)- Confidentiality and Secrecy:

(i) Experts and Young Professionals will be governed by the Indian Official Secret Act, 1923 and shall not disclose any information/data that they may gather by virtue of being Experts or Young Professional in the Competition Commission of India to any person who is not authorised in this regard during or after period of their engagement as Experts or Young Professional in the Competition Commission of India.

(ii) Selected candidates shall provide integrity certificates from 2 references known to them.

(iii) A self-undertaking shall be provided by the candidate to the effect that he/she has no criminal record or criminal case in any court is pending against him/her.

JYOTI JINDGAR, Secy. (I/C)
[ADVT.-III/4/Exty./25/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.13 20:15:40 +05'30'